549

संख्या–572/XVIII-(2)/2013–4(15)/2013

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 20 जुलाई, 2013

विषयः– राज्य की भूमि पर निजी भवनों के भवन स्वामियों को प्राकृतिक आपदा से भवनों के पूर्ण क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में राहत राशि के मा0 मुख्यमंत्री जी के राहत कोष से आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में आयी प्राकृतिक आपदा में कतिपय ऐसे आवासीय भवन भी क्षतिग्रस्त हुये है, जो राज्य की भूमि पर बने हैं। ऐसे मामलों में भवन स्वामी परिवारों को राहत राशि दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में घटित आपदा से अभूतपूर्व जनहानि हुई है व कतिपय ऐसे परिवारों के भी पक्के भवन क्षतिग्रस्त हुये है, जो राज्य की भूमि पर बने थे। ऐसे पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों को भी प्राकृतिक आपदा से पक्के मकान के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की दशा में रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तथा पूर्णतः क्षतिग्रस्त कच्चा मकान रू0 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि राहत राशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति हेतु निम्न शर्तो के अधीन "मुख्यमंत्री राहत कोष" से वहन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– ऐसे भवन स्वामी को निर्धारित प्रकिया से भवन खाली करने का आदेश किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व में न दिया गया हो।

2– ऐसे भवन का कब्जा प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से ध्वस्त किया जायेगा एवं ऐसी भूमि का राज्य सरकार द्वारा कब्जा प्राप्त किया जायेगा। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे भवन पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गये हो तथा वहां कोई नहीं रह रहा हो तथा उक्त स्थान पर भविष्य में कोई पुनर्निर्माण कार्य नहीं होगा।

3– ऐसे भवन के स्वामी के चिन्हींकरण, इससे सम्बन्धित जांच तथा धनराशि के आवंटन के लिए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी नियत प्राधिकारी होंगे। उप जिलाधिकारी द्वारा ऐसे भवनों के चिन्हींकरण उपरान्त संकलित सूची जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। नियत प्राधिकारी निर्धारित जांच के उपरान्त प्रत्येक ऐसे परिवार के लिए स्वीकृति आदेश पारित करेंगे, जिसमें भवन के ध्वस्तीकरण पश्चात भूमि राज्य सरकार द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख होगा।

4– धनराशि स्वीकृति के उपरान्त एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में ऐसे भवन का ध्वस्तीकरण किया जायेगा, जिसका वीडियों एवं चित्र भी संरक्षित रखा जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा.सं.–71 NP/XXVII(5)/2013-14, दिनांक 20 जुलाई, 2013 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

D:\letters-08\ Last 2008-09/

संख्या– 572 (1)/XVIII-(2)/2013 –4(15)/2013, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव मा0 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड।
5– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एस0चौहान)
अनु सचिव